


अनवान : केहर सिंह आदि बनाम : भगत राम आदि
 धारा 88, 188, 419 RAKTA


आदेश दिनांक मु. न. 110/2014
 आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज


दावा चलावे
 नही चाहते
 इत्यादि


 प. न. 1/10/14


 पी. न. 1/10/14


 पी. न. 1/10/14


 पी. न. 1/10/14


 पी. न. 1/10/14

7 अधिवक्तागण उपस्थित। वादी
 11/19 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 04/07/19
 को पेश प्रार्थना पत्र आदेश 23
 निशम। CPC नोटप्रेस किआ व
 वादीगण शेर सिंह, सतो, दीपा, शैलेश
 कुला सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश
 किआ। वादीगण की पहचान उनके
 अधिवक्ता के द्वारा की गई। प्रार्थना
 पत्र में निवेदन किआ गया कि वादीगण
 उक्त दावा को अभी नही चलाना
 चाहते व इसी स्टेज पर वापिस
 लेना चाहते हैं। पत्रावली का
 अवलोकन किआ गया व वादीगण
 व वादी अधिवक्ता को सुना गया
 वादीगण द्वारा दावा नोटप्रेस
 करने पर प्रकरण इसी स्टेज
 पर खारिज किआ जाता है।
 पत्रावली विधि द्वाकर नम्बर
 से काम हो

सुपरी अदालत (राजस्व)
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

